प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
2. सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
3. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य ।
4. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत ।

क्रमांकः 9618-9744 दिनांकः 24/2/2010

विषयः न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01-01-2010 से बढ़ोतरी बारे पत्र।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 27-6-2007 द्वारा भिन्न-भिन्न रोज़गारों में दिनांक 01-07-2007 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं । इन आंकड़ों में हुई बढ़त / घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (जनवरी व जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त / घटत होती रहती है ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जनवरी 2009 से जून, 2009 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत / बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है :-

जुलाई, 2010	637 (1376)
अगस्त, 2010	646 (1395)
सितम्बर, 2010	650 (1404)
अक्तूबर, 2010	658 (1421)
नवम्बर, 2010	671 (1449)
दिसम्बर, 2010	675 (1458)
औस्त	656 (1417)

जून, 2009 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 1287 थे । अब मास दिसम्बर, 2009 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 1417 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 130 अंकों की बढ़ौतरी हुई है । हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27-06-2007 जो कि प्रथम जुलाई, 2007 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 2.31 रुपए प्रतिअंक है जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों में न्यूनतम वेतनों में दिनांक 01-01-2010 से मासिक रुपए 300.30 और दैनिक रुपए 11.55 की बढ़ौतरी हुई है । अतः अब दिनांक 01-01-2010 से हरियाणा राज्य में सभी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरें पूर्व की भांति निम्न प्रभाव से देय बनती है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	मासिक वेतन	दैनिक वेतन
1.	अकुशल	रु0 4214.00	रु0 162.00
2.	अर्धकुशल (ए)	रु0 4344.00	रु0 167.00
	(बी)	रु0 4474.00	रु0 172.00
3.	कुशल (ए)	रु0 4604.00	रु0 177.00
	(बी)	रु0 4734.00	रु0 182.00
4.	उच्च कुशल	रु0 4864.00	रु0 187.00

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भटठा उद्योग के रेटस में बढ़ौतरी निम्न प्रकार से हैः-

Pathera Brick	Tiles	Bharai wala A	B	Keri wala (per 1000)	Nikasi wala (per 1000)	Chinai wala (Per Month)	Mistri (Per Month)
240-00	270-00	120-00	100-00	22-00	89-00	4604-00	4604-00

नोटः-सरकार के आदेशानुसार उक्त निर्धारित न्यूनतम वेतन में जहाँ 50 पैसे से कम की वृद्वि हुई है। उसे घटा कर पूर्ण रू0 कर दिया है और जहाँ 50 पैसे से अधिक वृद्वि हुई है, वहा बढ़ा कर पूर्ण एक रू0 कर दिया है। अतः आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को संशोधित न्यूनतम वेतन बारे अवगत करवाते हुये इसकी परीपालना करवा कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।